

अतः पत्रावली नं. १३-५-२३ को पेश हो

दिनांक 13-4-23 को पेश हो

13-4-23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस  
प्राप्त (0.22 R. 4) हेतु पूर्व में कटौत अवसर दिये  
जा चुके हैं, बसके बावजूद वकील वादी द्वारा पालना  
नहीं की जा रही है। अतः वादी का वाद अन्तर्गत  
आदेश 9 नियम 5 C.P.C. (Non Compliance) में  
स्वीकृत किया जाता है।  
पत्रावली फैसल सुमाव होकर नम्बर से  
कम हो।

उपस्थित अधिकारी 13.4.23  
रूपनगढ़ (अजमेर)

